

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 144 सन 2019

अनवान :-

1. नूरजमाल पुत्र सुरजेखां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अब्दुल सतार पुत्र सुरजेखां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. खातुन पत्नी स्व ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मकबूल पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
4. सराज पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
5. सलीम पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
6. सुलतान पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
7. चिराग पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
8. मदीना पुत्री ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
9. नजमा पुत्री ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपरिथत : श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता वादी

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 23/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 3/4 की कुल 18.8180 हैक में से 248 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता ईब्राहिम के नाम से दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरजेखां ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता ईब्राहिम व वादी के नाम से करवाई गई थी किन्तु बैयनामा के समय सहवन से वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका था जबकि वाद भूमि सयुक्त परिवार की अर्जित आय से अर्जित की गई भूमि थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता का बराबर का हक हिस्सा है सहवन से वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका था वाद भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 9 के पिता इब्राहिम के नाम को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ता 7 अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से दर्ज है वह उनके पूर्वज सुरजे खां ने सयुक्त परिवार की आय से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता इब्राहिम के नाम से खरीद की गई थी किन्तु सहवन से बैयनामा में वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ है जबकि वाद भूमि तीनों भाईयो के हक हिस्सा की भूमि थी

वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व इब्राहिम के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3, 8 ता 9 जो वादी की माता/बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 10 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 3/4 की कुल 18.8180 हैक्टर में से 248 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता इब्राहिम के नाम से दर्ज है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सुरजेखां ने अपने जीवनकाल में वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता इब्राहिम व वादी के नाम से करवाई गई थी किन्तु बैयनामा के समय सहवन से वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका था जबकि वाद भूमि सयुक्त परिवार की अर्जित आय से अर्जित की गई भूमि थी जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता का बराबर का हक हिस्सा है सहवन से वादी का नाम दर्ज नहीं हो सका था वाद भूमि सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 3 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 3/4 की कुल 18.8180 हैक् में से 248 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता ईब्राहिम के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के दादा सुरजेखां ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 9 के पिता के नाम से करवाई गई थी किन्तु सहवन से वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ जिसके कारण वाद भूमि वादी के दोनो भाईयो के नाम से दर्ज है जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता इब्राहिम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 2, 8, 9 प्रतिवादी 3 ता 7 की माता/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2, 8, 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते है की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 3/4 की कुल 18.8180 हैक् में से 248 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता ईब्राहिम के नाम से दर्ज है मृतक ईब्राहिम का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिव 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. नूरजमाल पुत्र सुरजेखां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अब्दुल सतार पुत्र सुरजेखां जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. खातुन पत्नी स्व ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मकबूल पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
4. सराज पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
5. सलीम पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
6. सुलतान पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
7. चिराग पुत्र ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
8. मदीना पुत्री ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
9. नजमा पुत्री ईब्राहिम जाति जोईया मुसलमान निवासी ढाणी लालखा तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 144 सन 2019 निर्णय दिनांक- 23/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी लालखां के खाता संख्या 3/4 की कुल 18.8180 हैक् में से 248 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के पिता ईब्राहिम के नाम से दर्ज है मृतक ईब्राहिम का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर